प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक 25.08.2021

अपमिश्रित देसी शराब बनाकर बेचने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, 20 लीटर अपमिश्रित शराब, 50 लीटर शराब बनाने का केमिकल व भारी मात्रा में शीशी, ढक्कन, रैपर आदि बरामद–

जनपद के थाना सांगीपुर से उ0नि0 अश्विनी कुमार मय हमराह द्वारा कल दिनांक 24.08.2021 की रात्रि में मुखबिर खास की सूचना पर थाना क्षेत्र के ग्राम पचखरा के एक अर्धनिर्मित मकान से अपमिश्रित शराब बनाकर उस पर विभिन्न कम्पनी के देसी शराब के रैपर लगाकर बेचने वाले 01 अभियुक्त रण बहादुर सिंह उर्फ राणा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं केमिकल का प्रयोग कर अपमिश्रित शराब बनाकर उस पर विभिन्न कम्पनी के रैपर लगाकर बेचता हूं, जिससे मुझे काफी अच्छी आमदनी हो जाती है। मौके से 20 लीटर अपमिश्रित शराब, 50 लीटर शराब बनाने का केमिकल व भारी मात्रा में शीशी, ढक्कन, रैपर आदि बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

रण बहादुर सिंह उर्फ राणा पुत्र बलकरन सिंह निवासी पचखरा थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

बरामदगी–

01– 50 लीटर नाजायज देसी शराब बनाने का केमिकल।
02– 20 लीटर अपमिश्रित देसी शराब।
03– एक बोरे में विभिन्न कम्पनी के देसी शराब के रैपर।
04– दो प्लास्टिक के पैकेट में भारी मात्रा में देसी शराब के शीशी के ढक्कन व लगभग 100 देसी शराब की खाली शीशी।

पंजीकृत अभियोग–

01.– मु0अ0सं0 196/2021 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 272, 273 भादंवि व धारा 60/63 आबकारी अधिनियम

पुलिस टीम–

उ0नि0 अश्विनी कुमार पटेल, उ0नि0 राज नारायण यादव, उ0नि0 अरविन्द कुमार उपाध्याय, उ0नि0 अशोक कुमार सिंह, हे0कां0 इन्द्र देव यादव व आरक्षी इमरान, विवेक यादव, शिवशंकर यादव, योगेन्द्र यादव, राहुल यादव, राम निवास यादव, म0कां अमृता सिंह, गायत्री पाण्डेय, आरती यादव, वंदना कुमारी थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

40 लीटर अवैध कच्ची देसी शराब के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद के थाना कुण्डा से उ0नि0 श्री शिव प्रसाद रावत मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना क्षेत्र के हरनामगंज रेलवे स्टेशन क्रासिंग के पास से 02 व्यक्तियों 01. दिनेश कुमार पुत्र कड़ेदीन निवासी गोतनी थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ 02. नानभईया पुत्र मोतीलाल निवासी टिकरू थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ को 20–20 लीटर की पिपिया में अवैध कच्ची देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 292/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।